

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 695/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री के.एस. लोहा।

:: आदेश ::

25.01.2019

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी की तामील हेतु वांछित पी एफ नोटिस पेश नहीं किये गये हैं, इस हेतु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है, एक सप्ताह में वांछित पी एफ नोटिस पेश नहीं किये जाने की स्थिति में यह सिविल अपील बिना न्यायालय में सूचीबद्ध किये स्वतः निरस्त समझी जावे, लेकिन पेश होने पर पूर्व आदेशानुसार प्रत्यर्थी को नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-